तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 83/2024 उनवान – बुधाराम वगै. बनाम नथाराम वगै.	नंबर व तारीख अहकाम जी इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.05.2024	आज यह पत्रावली अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री साजिद खान द्वारा टी.आई पत्रावली कें संबंध में पेश करनें पर पेशी में ली गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त अनवान के मुकदमें में प्रार्थी नत्थाराम ने उपरोक्त अनवान का दावा व अरथाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किय था। उक्त मुकदमे में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से जवाब टी. आई प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2022 को प्रस्तुत किया गया था। जिसकी नकल प्रार्थी के अधिवक्ता को दे दी गई थी। पत्रावली काउन्टर टी.आई के जवाब में चल रही थी, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 03.05.2024 नियत थी। उक्त पत्रावली में प्रार्थी की ओर से दिनांक 30.04.2024 को मिसल पेशी को पेशी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा टी.आई. प्रार्थना पत्र पुनः पेश करनें की अनुमति के साथ विड्रो करनें के लिये निवेदन किया।श्रीमानजी द्वारा दिनांक 30.04.2024 को उपरोक्त अनवान टी.आई पत्रावली को जरिये विड्रो में खारिज कर दिया गया, जबकि पत्रावली में काउन्टर टी. आई अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत कर रखा था। इस तथ्यों को प्रार्थी ने बिल्कुल छुपाते हुये न्यायालय श्रीमानजी को मुगालते में रखतें हुये विड्रो का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर टी.आई प्रार्थनापत्र को विड्रो करवा लिया,जबकि कानूनी रूप से पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का काउन्टर टी.आई का निर्णय किया जाना आवश्यक है। जब प्रार्थी द्वारा टी.आई प्रार्थना पत्र को विड्रो कर लिया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का काउन्टर टी.आई मंजूर फरमाया जावें। प्रार्थी ने बदनियति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके पत्रावली को विड्रो कर ली थी, हम अप्रार्थीगण की काउन्टर टी.आई अभी पेडिंग चल रही है। जिसका निस्तारण कानूनन किया जाना आवश्यक है। एवं उक्त पत्रावली को पेशी में ली जाकर हम अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी.आई का निर्णय किया जावें। हमन अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की ओर से दिनांक 30.04.2024 को मिसल पेशी को पेशी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा टी.आई. प्रार्थना पत्र पुनः पेश करनें की अनुमति के साथ विड्रो करनें के आधार पर दिनांक 30.04.2024 को उपरोक्त अनवान टी.आई पत्रावली को जरिये विड्रो में खारिज कर दिया गया, जबकि पत्रावली में काउन्टर टी. आई अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत कर रखा था। इस तथ्यों को प्रार्थी ने बिल्कुल छुपाते हुये न्यायालय को मुगालते में रखतें हुये विड्रो का प्रार्थना प्रस्तुत कर टी.आई प्रार्थनापत्र को विड्रो करवा लिया,जबकि कानूनी रूप से पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का काउन्टर टी.आई का निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र वाजिव नम्बर पर दर्ज हो। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। बहस एकतरफा सुनी गई। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने काउन्टर टी.आई प्रार्थना पत्र में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

हमने अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि वर्णित आसे–पासे व माप के भूखण्ड व मकानात जो ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है, से अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, अप्रार्थीगण के कब्जे की भूमि में प्रवेश नहीं करे, पटिटया, कातले, तारबन्दी व बाड को नहीं हटावे व अप्रार्थीगण की कब्जे की भूमि में कोई दखल अन्दाजी पैदा नहीं करें, ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नहीं करें, जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असरे पडे बाबत अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीगण ने अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 में कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 3 मुनीराम व अप्रार्थी संख्या 4 हंसराज ने भी करीब 7–8 वर्ष पूर्व अपनी कब्जाशुदा उक्त भूमि में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत पक्के मकानात बनवाये थे, जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 मुनीराम ने उक्त कब्जेशुदा भूमि में दो पक्के कमरे, एक ढुढा, एक गोर, एक बकरियों की झोपडी व एक पक्का कुण्ड बना रखा है। अप्रार्थी संख्या 4 हंसराज ने उक्त कब्जेशुदा भूमि में दो पक्के कमरे, एक ढूढा, एक छान, एक गोर, एक पक्का कुण्ड बना रखा है व टाली, कीकर व खेजडी का पेड लगा रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 बुधाराम ने उक्त कब्जेशुदा भूमि में एक झोपडा, एक ढूढा, एक छान, एक गोर, एक बकरियों की झोपडी, एक पक्का कुण्ड बना रखा है तथा उक्त भूमि में चार टाली के पेड, एक खेजडी का पेड लगा रखा है। अप्रार्थी संख्या 6 राजूराम ने अपनी उक्त कब्जेशुदा भूमि में एक झोपडा, एक ढुढा बना रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 5 सीताराम ने उक्त कब्जाशुदा भूमि में एक झोपडा बना रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 का सबसे छोटा लडका छोटूराम अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रहता है यानि इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की पुरानी कब्जेशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ता 6 का पूरा परिवार काफी वर्षो से सपरिवार लगातार रूप से अपने मकानात बनाकर रिहायश करतें चले आ रहे। एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 में अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने अपने भूखण्डों के पटटे बनवानें हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन कर रखा है। एवं अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात सूची में बिजली बिल, ग्राम पंचायत में पटटा आवेदन की रशीदे भूखण्ड व मकानात के फोटो पेश किये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र एवं बहस के दौरान किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र में भी राजस्व रिकार्ड से संबंधित अनुतोष नहीं चाहा गया। अप्रार्थीगण अपने कब्जेशुदा भूखण्डों में रिहायश कर रहे है एवं अपने कब्जेशुदा भूखण्डों के पटटों हेतु ग्राम पंचायत में पटटा आवेदन किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारास अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र में जो अनुतोष प्रार्थीगण के विरूद्ध चाहा गया है व ह अनुतोष अपने रिहायशी भूखण्डों के उपयोग उपभोग बाबत है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व विवाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

संबंध में कोई कथन नहीं किया गया इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष रिहायशी मकानात व भूखण्ड बाबत होना प्रतीत है जिसमें किसी प्रकार के दखलअंदाजी किसी व्यक्ति पक्ष द्वारा किये जाने पर अप्रार्थीगण के सिविल अधिकार प्रभावित होगे। प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रथम दृष्ट्या सिविल अधिकारों के हनन का प्रतीत होता है। इस आधार अप्रार्थीगण हस्तगत प्रार्थना पत्र में अनुतोष प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के अनुतोष के लिये उपयुक्त नहीं है अप्रार्थीगण अपना चाहा गया अनुतोष सिविल न्यायालय में आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर प्राप्त कर सकते है। विचाराधीन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नही बनता ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष में साबित है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:46 IST
Reason: SelfAttested